

13034/20(1)/2018-रा.भा.(प्रशा.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग


एनडीसीसी-॥ भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक: ५.06.2026

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 31.01.2025 के सम संख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में, विभाग में पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति का पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:

i.	सुश्री सतिन्दर कौर, उप सचिव	पीठासीन अधिकारी
ii.	श्री नरेश कुमार सैनी, अवर सचिव	सदस्य
iii.	सुश्री मौसमी तिकी, अवर सचिव	सदस्या
iv.	श्रीमती सोनिया गुप्ता, स. अनुभाग अधिकारी	सदस्या
v.	सुश्री रीटा सिंह	गैर सरकारी सदस्या

2. यह समिति संबन्धित अधिनियम के प्रावधानों एवं इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
3. उपर्युक्त समिति के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा।
4. राजभाषा विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के बारे में कोई भी शिकायत सीधे समिति की पीठासीन अधिकारी को भेजी जा सकती है।



(प्रेम नारायण)
उप सचिव(प्रशासन)

सेवा मे

1. सभी संबन्धित अधिकारीगण।
2. सुश्री रीटा सिंह, बी 7/63, सैक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089
(ई-मेल singhrita73@yahoo.co.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (रा.भा.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
2. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव
3. उप-सचिव (प्रशासन/ बजट/ कार्यान्वयन-1/प्रशिक्षण)
4. उप-सचिव (शिकायत)
5. निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)
6. निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान)
7. सचिव (संसदीय राजभाषा समिति)
8. एनआईसी सेल (रा.भा.) - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. अवर सचिव, प्रशासन -V अनुभाग, गृह मंत्रालय, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली।
10. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, WW प्रभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1